

क्रमांक :— एफ.4(ई)(1)(6) / पदस्थापन / पार्ट—। / अलेसे—गा / 2065

दिनांक :— 11.01.2025

### आदेश संख्या 217 / 2024-25

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहरील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा—2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अध्यर्थियों को एतद द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपरिधित देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन—भर्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। कोषाधिकारी नवनियुक्त एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें।

क्र.सं.	नाम (संरक्षित) पिता का नाम/रोल नं.	जन्मतिथि	कोष कार्यालय का नाम	अध्यर्थी का फोटो
1.	PRIYA RAJAWAT D/O MAHENDRA SINGH RAJAWAT 726603	05-09-1987	JAIPUR (RURAL)	

उपरोक्त अध्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जाती है :-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एलपी० 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अध्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देश/आदेश लागू होंगे। यह नियुक्त अध्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अध्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- उपरोक्त अध्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मेट्रोक्स 10—10 में एवं नियमानुसार देय भर्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भर्ते देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- अध्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम—10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपरिधित के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- अध्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपरिधित स्त्रीकार्य होगी:-
  - सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
  - दहज संबंधी शपथ पत्र
  - धूम्रपान/मध्यपान संबंधी शपथ पत्र
  - चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र-ए(उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
  - पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संविधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
  - अध्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वाविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
  - राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग—1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदर्भ नहीं होगा।
  - यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
  - उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726 / 2024 विक्रम वर्ष एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।
  - उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 202 / 2025 विनोद पाटीदार व अन्य 278 / 2025 मोहित सोनी व अन्य एवं 347 / 2025 धर्मन्द्र सिंह शेषमा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।
  - उपरोक्त अध्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में आदेश जारी किए जाने के 15 कार्य दिवस में कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न:— शपथ-पत्रों के प्रारूप

(भूपेश माथुर)  
निदेशक एवं पदन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पार्ट-1/अलेसे-गा/ 2025  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ सम्युक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी.....को प्रेषित कर लेख है कि अध्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही इनकी उपरिधित स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों सहित जरिये विशेष याहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निवेशालय को प्रेषित कराये—
  1. जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  2. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
  3. दहेज संबंधी शपथ पत्र
  4. धूमपान/मध्यापन संबंधी शपथ पत्र
  5. चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र—ए में शपथ पत्र
  6. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में  
(उक्त कम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
  7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
  8. वरिष्ठ निजी सचिव, निवेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
  9. उपनिवेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
  10. संबंधित अध्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष केमाध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करायें।
  11. रक्षित /निजी पत्रावली।

  
(के.जी. गुप्ता)  
अतिरिक्त निवेशक (कार्मिक)